राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत थानेटा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत थानेटा

प्रकरण स. – 64 / 2010 प्रा.प.

निर्णय दिनांक 25 मई, 2015

1. श्री भैरूसिह पिता गुमानसिंह जाति रावत निवासी मियालाखेत तहसील भीम
2. श्रीमति नैनुदेवी पत्नि भगासिंह जाति रावत निवासी मियालखेत तहसील भीम
3. श्रीमति खीमी बेवा माहन सिंह जाति रावत निवासी मियालखेत तहसील भीम
4. श्री माधुसिह पिता रामसिंह जाति रावत निवासी मियालखेत तहसील भीम
5. श्री तिलोक सिंह पिता रामसिंह जाति रावत निवासी मियालखेत तहसील भीम

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री देवीसिंह पिता सुजानसिंह जाति रावत निवासी मियालखेत तहसील भीम
2. श्रीमति धापू पत्नि देवीसिह जाति रावत निवासी मियालखेत तहसील भीम

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट
वास्ते कराये जाने पक्की पत्थरगढी

यह कि अन्य आराजियात के अलावा वाके ग्राम थानेटा पटवार हल्का थानेटा तहसील भीम जिला राजसमन्द मे मुझ प्रार्थी एवं सह हिस्सेदारो के कब्जे, स्वामित्व व आधिपत्य की हाल जमाबन्दी खतौनी के अनुसार आराजि खसरा नम्बर 9559 रकबा 01 विस्वा किस्म गैमुचाह स्थित होकर उक्त जमीन पर हमारे अनुसार कब्जा चला आ रहा है।

उक्त वर्णित जमीन क पडौस निम्न प्रकार हैः–

पर्वू में :– वाला।
पश्चिम में:– विपक्षीगण की जगह।
उत्तर में: – स्वय की जगह।
दक्षिण में :– पहाड।

उक्त मौके पर विपक्षीगणो को अपनी जमीन की सीमा चिन्ह की जानकारी न होने की वजह से आये दिन पाली डोली को लेकर अक्सर विवाद बना रहता है तथा कई बार झगडा भी हो गया है तथा हुए की सही सीमा चिन्ह न होने से विवाद निरन्तर बना हुआ है। अभी दस दिन पूर्व भी अतिम बार विपक्षीगण जो कि पश्चिमी दिशा के पडौसी है के द्वारा झगडा भी किया गया जिस पर मौके पर मैने व गाव के लोगो ने समझाया पूर्व में सीमा चिन्ह की जानकारी भी करवाई उसके बाद भी विपक्षीगण द्वारा नही मानने रा तथा यह कहने से कि तुम पत्थरगढी करवा लों।

अत: वादी का वाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प थानेटा** में प्रार्थी एव अप्रार्थीगणो को बाद समझाईश आपसी राजीनामे से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 9559 रकबा 01 विस्वा किस्म गैमुचाह दोनो पक्षो की उपस्थिति में पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क जमा करा उक्त विवादित भूमि की पत्थरगढी करा पालना से अवगत करावे। निर्णय आज दिनांक 25.06.2015 को कैम्प थानेटा में लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
भीम, जिला राजसमन्द
उपखण्ड अधिकारी
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner